

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- 410/1438052/2023/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 0 19 /7/2023

छा
र
१
प

सचिव
सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-रीवा इंटरनेशनल पब्लिक
स्कूल रीवा, जिला-रीवा, म0प्र0 को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता
है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त
संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को
सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों
में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय
प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं
किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल
का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाये।
- (5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान
मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की
जावेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक
होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस
संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति
प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2

Principal

Principal

अध्यक्ष

आदि
छात्रों
स्थिति

- (7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एलपीजी आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मानव उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्तें जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- (15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

निरन्तर....3

अध्यक्ष
लोकशिक्षण शिक्षा समिति

Unish

राजिव

11/3/11

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ति
इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ओ०एल०मण्डलोई)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक- ५॥ 11438052/2023/20-3

भोपाल, दि० 19/7/2023

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग,
भोपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०।
- (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-रीवा, म०प्र०।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-रीवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रीवा,
जिला-रीवा, म०प्र०।
- (7) फोल्डर प्रति,
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

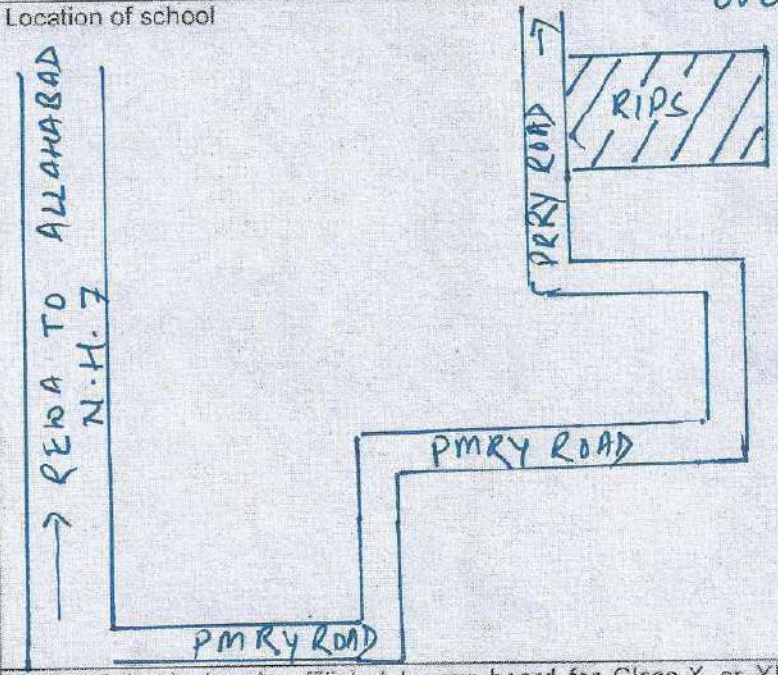
**FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER IN
RESPECT OF SCHOOLS SEEKING AFFILIATION WITH THE CENTRAL BOARD OF
SECONDARY EDUCATION**

(In accordance with School Safety Policy, 2016 issued by the NDMA, Manual on Safety and Security of
Children in Schools developed by NCPDR and the National Building Code)

PART-A

(This part is to be filled-up by the school and to be produced before the District Education Officer
along with all supporting documents and certificates in original)

GENERAL INFORMATION

1	Name of the School: (Name should be exactly as per NOC and recognition certificate)	- REWA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
2	Address of the School:	- WARD NO-15, GADARIYA, RATAHARA REWA, M.P. - 486005
3	U-DISE code allotted to the school:	- 23140100705
4	Name and address of the Trust/Society/ Company (under section 8) running the School	- SHRI VYANKTESHWAR SHIKSHA SAMITI H. NO- 938/15 NEAR RATAHARA PETROL PUMP, REWA
5	Is the Trust/Society/ Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	YES
6	Proposed affiliation with CBSE for:	Senior Secondary level affiliation, switch over from other boards.
7	Location of school	 - outside the municipal limits of any town or city, ward No 15, Gadariya, Ratahara Rewa, Dist - Rewa, M.P.
8	Is the School already affiliated to any board for Class-X or XII examinations?	MPBSE - YES 322474
9	Standard/level/class up to which the school is running:	Upto - XII

(Signature of Principal)

Principal
Rewa International
Public School Rewa (M.P.)

जिल्हा शिक्षा समिती
जिला रेवा (म.प्र.)

(Signature of District Education Officer)
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रेवा सभाग, रेवा (म.प्र.)

APPENDIX-II

25	Is the school paying salary to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES
26	Is the salary to the teachers and other employees of the school being paid through the bank by mode of electronic clearing? (Payment by cheque or cash to the individuals is not allowed)	YES
प्रो. संयुक्त संस्थान शिक्षा समिति जिला रेवा (म० प्र०)		प्रिन्सिपल Rewa International Public School Rewa (M.P.)
PART-B		
(This part is to be filled-up by the District Education Officer after verifying all supporting documents and certificates in original and visiting the school)		
File No. <u>NOC 2410.123</u> Date of Issuance		
1	This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.	
2	Is the school recommended for affiliation? (Please ensure that the school fulfils land requirements also as per details given in Appendix-A along with point nos. 1-26)	Yes, Recommended for Affiliation
3	Recommended for Middle Class Syllabus/Secondary/Senior Secondary to CBSE?	Yes Recommended for senior secondary level switch over from other boards.
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रेवा सभाग, (म० प्र०)		Signature DISTRICT EDUCATION OFFICER/NAME OF DISTRICT

(Signature of Principal)

Principal
 Rewa International
 Public School Rewa (M.P.)

प्रो. संयुक्त संस्थान शिक्षा समिति
 जिला रेवा (म० प्र०)

(Signature of D.E.O.)

PART-C			
DISTRICT EDUCATION OFFICER SHALL PUT A TICK MARK AGAINST THE COLUMN UNDER WHICH THE SCHOOL IS FULFILLING THE LAND CRITERIA			
Name and Address of the school:		Total Land area in lawful possession of school:	
SN	LOCATION OF SCHOOL	LAND REQUIREMENT	PLEASE TICK THE CONCERNED COLUMN
1	Any Where in India	Minimum 6000 Square Meters	☒
2	In Municipal limits of cities with a population exceeding 15 Lakhs.	Minimum 4000 Square Meters	☐
3	In hilly areas prescribed by the Planning Commission (NITI Aayog).	Minimum 4000 Square Meters	☐
4	In Municipal Limits of the State Capital Cities.	Minimum 4000 Square Meters	☐
5	In the North Eastern States.	Minimum 4000 Square Meters	☐
6	In the state of Jammu and Kashmir	Minimum 4000 Square Meters	☐
7	In Municipal Limits of Ghaziabad, NOIDA, Faridabad and Gurugram cities	Minimum 4000 Square Meters	☐
8	In the Municipal Limits of Panchkula and Mohali/SAS Nagar	Minimum 4000 Square Meters	☐
9	In the Municipal Limits Class-X cities (Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune). Or on the Hill Stations. (For Secondary Level)	Minimum 2000 Square Meters	☐
10	In the Municipal Limits Class-X cities (Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune). Or on the Hill Stations. (For Senior Secondary Level)	Minimum 3000 Square Meters	☐
11	In the Municipal Limits of Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai Or the state of Arunachal Pradesh. Or the state of Sikkim Or the Islands. (For Secondary Level)	Minimum 1600 Square Meters	☐
12	In the Municipal Limits of Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai Or the state of Arunachal Pradesh. Or the state of Sikkim Or the Islands. (For Senior Secondary Level)	Minimum 2400 Square Meters	☐

(Signature of Principal)

Principal

Rewa International
Public School Rewa (M.P.)

(Name and Stamp of Issuing DEO)

DISTRICT EDUCATION OFFICER/NAME OF DISTRICT

(Signature of D.E.O.)

श्री व्यंकटेश्वर शिवा मण्डि
जिला रीवा (म.प्र.)